



महिला सशक्तीकरण के हर मोर्चे पर आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा तंत्र के सुदृढ़ीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा और रोजगारोन्मुखी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।



189

नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 1,100 पिक शौचालयों का निर्माण।



16

शहरों में श्रमजीवी हॉस्टल पुण्यलोका माता अहिल्याबाई होल्कर जी के नाम पर



11

जनपदों में नवीन शक्ति सदनों का निर्माण जारी मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत



50%

स्टार्टअप महिला उद्यमियों द्वारा संचालित, 22 हजार से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप में सशक्त नेतृत्व।



5.50+

लाख से अधिक बेटियों के विवाह सम्पन्न मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से

महिला सुरक्षा पर खास ध्यान

प्रदेश के प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना तथा 40,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण।

मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना के बाद बलात्कार की घटनाओं में 58.17%, महिलाओं एवं बच्चों के अपहरण में 17.03%, दहेज हत्या में 21.36% तथा घरेलू हिंसा में 9.54% की कमी दर्ज।

ITSSO पोर्टल के अनुसार महिला एवं बाल अपराधों के निस्तारण में 98.90% के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

19,839 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति एवं 9,172 महिला बीटों का आवंटन।

प्रत्येक जिले में एण्टी रोमियो स्क्वाड का गठन।

प्रत्येक जनपद में महिला थाना के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष की तैनाती।



महिला स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्य

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 27.37+ लाख बेटियां लाभान्वित।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना से 60 लाख माताएं लाभान्वित।

2 लाख से अधिक महिलाओं को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ।

40,000+ बी.सी. सखी द्वारा ₹42,711 करोड़ से अधिक वित्तीय लेनदेन एवं ₹116 करोड़ का लाभान्तर अर्जित।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1.19 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया।

35 लाख से अधिक दीदियों का लखपति महिला योजना में चिन्हांकन तथा 18.55 लाख से अधिक महिलाएं लखपति श्रेणी में।

64.34 लाख महिला किसान परिवार कृषि आजीविका संवर्धन गतिविधियों से जुड़े।

15,409 विद्युत सखियों द्वारा ₹3,207 करोड़ के विद्युत बिल संग्रहण का कार्य, जिससे ₹41.3 करोड़ का कमीशन प्राप्त।

औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं को नाइट शिफ्ट (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) कार्य करने की अनुमति।

महिला श्रम बल भागीदारी वर्ष 2017 के लगभग 13% से बढ़कर लगभग 36% हुई।



आंगनबाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु 1,82,113 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं 1,28,811 सहायिकाओं के मानदेय में अप्रैल 2026 से वृद्धि का निर्णय, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी।

'रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष' के तहत 14,559 पीढ़िताओं को ₹511.20 करोड़ की आर्थिक क्षतिपूर्ति।



1090

वीमेन पॉवर लाइन



181

महिला हेल्पलाइन



102

गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एंबुलेंस हेल्पलाइन



112

पुलिस आपातकालीन सेवा

काम दमदार - डबल इंजन सरकार

ADVERTORIAL